



क्रमांक
प्रति,

215

/परीक्षा/2016

बिलासपुर, दिनांक :-03.05.2016

प्रो.पी.के.बाजपेयी,
मुख्य केन्द्राध्यक्ष
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:-

हाथघड़ी एवं मोबाईल प्रतिबंधित करने संबंधी निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि :-

1. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2016 में निर्णय लिया गया है कि समस्त परीक्षाओं के दौरान कृपया यह सुनिश्चित किया जावे कि परीक्षा कक्ष के अंदर विद्यार्थी तथा वीक्षक भी मोबाईल फोन न ले जावें, इसका अनुपालन मुख्य केन्द्राध्यक्ष एवं संबंधित केन्द्राध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे।
2. समस्त परीक्षाओं के दौरान मुख्य केन्द्राध्यक्ष एवं केन्द्राध्यक्ष द्वारा कृपया यह सुनिश्चित किया जावे कि परीक्षा कक्ष के अंदर परीक्षार्थी हाथघड़ी पहनकर परीक्षा कक्ष में न जावें।
यह आदेश, दिनांक 06.05.2016 से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक(कार्यवाहक)

पू.क्रमांक
प्रतिलिपि:-

216

/परीक्षा/2016

बिलासपुर, दिनांक :-03.05.2016

1. कुलपति/कुलसचिव जी के निज सचिव/निज सहायक को कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
3. संबंधित केन्द्राध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि उक्त सूचना से छात्रों को अवगत कराने का कष्ट करें।
5. विभागाध्यक्ष, संगणक संस्थान की ओर उक्त सूचना वेबसाइट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
6. जनसंपर्क अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप-कुलसचिव(परीक्षा)